

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक 3343

दिनांक 25/8/23

कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के आदेश क्रमांक स्था0/2023/27334 दिनांक 25.08.2023 की अनुपालना में लक्ष्मणगढ तहसील मुख्यालय पर कार्य सुचारु, सुगमता से सम्पादित किए जाने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार द0प्र0सं0 की धारा 14 (1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर इस न्यायालय के पूर्व आदेश की निरंतरता में थाना बडोदा मेव के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले भा0द0सं0 से संबंधित फौजदारी प्रकरण, वन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, एन0आई0एक्ट से संबंधित प्रकरणों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अधिकारिता को छोड़कर) के संबंध में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ को संशोधित क्षेत्राधिकार आवंटित करता हूँ।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

नोट:- तहसील मुख्यालय के संबंध में शेष आदेश क्रमांक 1241 दिनांक 09.04.2021 व 2460 दिनांक 10.08.2021 यथावत रहेंगे।

sd -

(अजीत कुडी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

क्रमांक:- 3344-50

दिनांक:- 25/8/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है-

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/संबंधित थाना बडोदा मेव, अलवर
4. कार्यालय प्रति/संबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन लक्ष्मणगढ
- ✓ 5. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-मेल करें)

(अजीत कुडी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अलवर (राज०)